बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

पत्रांक–02 / एम0एम0(बा0)–08 / 17................................... / एम0, पटना, दिनांक–................

प्रेषक,

Web/ Email/Whats App

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– लघु खनिज बालू को विक्रय मूल्य निर्धारण करने में किये जा रहे विलम्ब के संबंध में ।

प्रसंगः– विभागीय पत्रांक–2158 / एम0, दिनांक–18.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रसंगाधीन विभागीय पत्र द्वारा संसूचित विभागीय निदेश तथा मासिक समीक्षात्मक बैठक में वरीय पदाधिकारियों द्वारा अनेक बार दिये गये निदेश के बाद भी आपके प्रभाराधीन जिलान्तर्गत लघु खनिज बालू के विक्रय मूल्य का दर निर्धारण नहीं किया गया हैं तथा एतद् संबंध में कोई प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अतएव निदेशित किया जाता है कि दिनांक–16.08.2018 तक अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत लघु खनिज बालू का विक्रय मूल्य का दर निर्धारण की कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन मुख्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय अन्यथा आपका वेतन बंद करते हुए आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–...........3192............. / एम0, पटना, दिनांक–1/8/18...

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

1/8/18

सरकार के अवर सचिव

shweta